न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

म अपील संख्या 104 / 2021

त सिंह पुत्र भवानी सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम केहरपुरा कलां, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 08.07.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 23.06.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 104 / 2021 पर दिनांक 24.06.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 1770–71 दिनांक 24.06.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 20 / 1460 दिनांक 05.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी हिम्मत सिंह पुत्र भवानी सिंह, निवासी केहरपुरा कलां का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 30.04.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 154 दिनांक 05.05.2021 द्वारा स्थापना अनुभाग को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु भिजवाया गया है। स्थापना अनुभाग ने अपने पत्र क्रमांक प 1 ( )( )स्था / सू0अ0 / 2020 / 465 दिनांक 10.05.2021 के द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि 01.04.2008 से 01.04.2021 तक इस कार्यालय द्वारा एक युद्व विकलांग सैनिक को नियुक्ति दी गई है तथा शेष प्रश्न का जबाब सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लो0सू0अ0 (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 20 / 1460 दिनांक 05.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी हिम्मत सिंह पुत्र भवानी सिंह, निवासी केहरपुरा कलां का

(12)

दन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 30.04.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ16(4)(5) य/सू0अ0/09/154 दिनांक 05.05.2021 द्वारा स्थापना अनुभाग को नियमानुसार ना उपलब्ध कराने हेतु भिजवाया गया है। स्थापना अनुभाग ने अपने पत्र क्रमांक प ( )( )स्था/सू0अ0/2020/465 दिनांक 10.05.2021 के द्वारा अपीलार्थी को ना उपलब्ध करवाते हुए अवगत करवाया कि 01.04.2008 से 01.04.2021 तक उनके र्यालय द्वारा एक युद्व विकलांग सैनिक को नियुक्ति दी गई है तथा शेष प्रश्न का ाब सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि कार्यालय से धित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील र्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

पीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय ज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 08.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0जी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू